PV

T.D.R. हेतु मौका रिपोर्ट प्राप्त दि 26-2-24

2023/72

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

आगामी पेशी – 7-3-2024

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251 (A)2	88/23	28/4/23 फैसला 19/11/24	फैसला 19/11/24	19/7/24 01/8/24 TDR हेतु मौका रिपोर्ट पुनः प्रेषित करें (स्पष्ट रिपोर्ट) लिखा है। 12/8/24 27/8/24 TDR हेतु पुनः जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 10/9/24 17/9/24 19/9/24 26/9/24 ~~3/10/24~~ 8/10/24 16/10/24 17/10/24 24/10/24 6/11/24 12/11/24 14/11/24 19/11/24 निर्णय ~~20/11/2~~

अनवान

श्री भूरालाल / हीरा धाकड़ .... श्री कैलाशचन्द्र / छीतर ....

निवासी बिजौलिया खुर्द .... निवासी बिजौलिया खुर्द ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री पंकज धाकड़
कपिल धाकड़
अनिल धाकड़

श्री निर्मल जोशी (3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
6/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 12/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/11/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता विपक्षी ने लिखित बहस पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को लिखित बहस की नकल दी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी पेशी दिनांक 14/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय बहस आगामी दिनांक 19/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/11/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से विस्तृत लिखवाया गया। पत्रावली में पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :– 88 / 2023 दायर तारीख:– 28.04.2023

–:अनवान:–

01. भुरालाल पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राजस्थान
02. कमलादेवी पुत्री हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
03. धापु बाई पत्नि स्व. हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
04. शंकरबाई पुत्री हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

............प्रार्थीगण

–: बनाम :–

01. कैलाशचंद्र पुत्र छीतर जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. भूली बाई पत्नि स्व. छीतर जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां
03. भंवर लाल पुत्र मांगीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां
04. सरजू पत्नि मांगीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां

.... **विपक्षीगण**

उपस्थित:–

01. श्री पंकज कुमार धाकड़,
02. श्री कपिल कुमार धाकड़
03. अनिल कुमार धाकड़ ,

....................अधिवक्ता प्रार्थी।

....................अधिवक्ता विपक्षीगण।

01. निर्मल जोशी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :-19/11/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पंकज कुमार धाकड़ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में खसरा संख्या 250/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर आने जाने के लिए 12 फीट रास्ता जो कि आराजी संख्या 255, 256 किस्म माल

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तीय की पुर्वी मेड़ से होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 250/1 में जा रहा है, प्रार्थी एवं पूर्व खातेदारगण ई वर्षों निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात पर काश्त की जा रही मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को शानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजियात पर काश्त रने के लिए आने जाने हेतु ट्रैक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी ो उक्त रास्ते से आने जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के लावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी ल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में विपक्षी 1 व 2 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी 04 फोत होन के कारण एवं इसके वारिसान पूर्व में ही पत्रावली में मौजूद होने के कारण विपक्षी 04 का नाम हटाया गया। विपक्षी 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जोशी ने जबाव पेश किया जो पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में तहसीदार बिजौलियां को दिनांक 27.7.2023 स्थल निरिक्षण हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरिक्षण रिपोट कमांक/राजस्व/260 दिनांक 22.02.24 को प्राप्त हुई जो संलग्न है। उक्त रिपोर्ट के संबंध्य में अधिवक्ता विपक्षी को आपत्ति होने से उक्त संबन्ध में पुनः तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गई। ?

तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/कमांक/राजस्व/2024/1251 दिनांक 14.08.24 से प्रस्तुत कि जो पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त जांच रिपोर्टो में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 250/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि भूरा लाल पिता हीरा हिस्सा 1/4 जाति धाकड़ सा. देह. , धापुबाई पत्नि स्व. हीरा धाकड़ 1/4 सा. देह, शंकरी बाई पुत्री हीरा धाकड़ हिस्सा 1/4 सा. देह , कमला पुत्री हीरा हिस्सा 1/4 धाकड़ सा. देह, खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगणों द्वारा आराजी नम्बर 255, 256 से होता हुआ 12 फीट रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहा 12 फीट रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो आराजी नम्बर 255 रकबा 0.5423 हैक्टेयर मैं से 0.0464 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 256 रकबा 0.4342 हैक्टेयर मैं से 0.0512 हैक्टैयर हेतु आवश्यक रहेगा। प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 250/1 के लिए आराजी नम्बर 255 व 256 में से होता हुआ आराजी 2226/309 गैमु. रास्ता से निकटतम दुरी पर है। इसके अलावा नजदीक व वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 255 व 256 की NH, SH, MDR सड़क व सम्भावित व स्वीकृत खनन क्षेत्र से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। उपस्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने बताया की प्रस्तावित रास्ते का विगत कई वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 255 रकबा 0.5423 हैक्टेयर में से 0.0464 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 256 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में से 0.0512 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0. 0976 हैक्टेयर कुल भूमि की नवीन डी.एल.सी. दर 678486/— रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 66221/— रूपये का **दुगना 132442/— रूपये** की राशि बनती है। विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा चाहा गया एक अन्य रास्त ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 246,1985/245, 248/2, 248/1, 250, 250/3 व 250/2 कुल किता 07 रकबा 2.2337 हैक्टेयर में से 0.1224 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी दर 678486/— रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 83047/— रूपये का दुगना 166094/— रूपये की राशि बनती है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातर पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तों की बहस एवं लिखित मनन किया। विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा चाहा गया **रास्ते की दूरी तुलनात्मक रूप से धिक लम्बी** होने से प्रकरण में तहसीलदार बिजौलिया की रिपोर्ट अनुसार निकटतम रास्ता दिया जाना तावित है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। ग्यपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनने एव लिखित बहस का अवलोकन करने एवं तहसीलदार जौलियां से प्राप्त रिपोर्टों के अवलोकन/मनन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि–

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ाम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में खसरा संख्या 250/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर मि में आने जाने हेतु ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 255 रकबा 0.5423 हैक्टेयर में से 0. 0464 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 256 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में से 0.0512 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0976 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 678486/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 66221/– रूपये का **दुगना 132442/– रूपये** की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 19/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा